पत्र सं0-वि0व0संग्रह(सामान्य पत्रावली) / 2021-22/ 463 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 25 अगस्त, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- विभिन्न ज्ञापों/मांग पत्रों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के पत्र सं0-467/11-02-2021-9(89)/19, दिनांक 18-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कतिपय अधिवक्ता संगठनों द्वारा दिये गये ज्ञापन का उल्लेख करते हुए, एक पक्षीय रुप से पारित कर निर्धारण वादों के निर्णयों की सम्यक तामीली तथा रिकवरी जारी करने से पूर्व व्यापारी को समुचित समय देते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संदर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा-33 के तहत "Payment & Recovery of Tax" में कर के भुगतान एवं वसूली सम्बन्धी समस्त प्राविधान दिये गये हैं तथा कर निर्धारण आदेशों की तामीली हेतु उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत Mode of Service में विस्तृत प्राविधान दिये गये हैं। उपरोक्तानुसार धारा/नियम में वर्णित प्राविधान के अनुसार ही किसी डीलर के विरुद्ध कर की वसूली तथा कर निर्धारण आदेशों की तामीली कराया जाना सुनिश्चित करें।

24/8/2021
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

24.8.2021
(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।